सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय
सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड 400707

फ़ा.सं: S/43-479/17-18/CHS/JNCH **दिनांक 22/05/2019**

निविदा सूचना सं. 13/2019

TENDER NOTICE NO. 13/2019

TENDER ID No. 2019_DREV_471576_1

जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, तालुका उरण, जिला रायगड में हाऊसकीपिंग तथा मैंटेनन्स सेवाओं की वार्षिक संविदा के लिए ई – निविदा

E- TENDER FOR ANNUAL CONTRACT OF HOUSEKEEPING & MAINTENANCE SERVICES AT JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE, TAL- URAN, DISTT- RAIGAD.

सीमाशुल्क आयुक्तालय (जनरल), जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जिसे ‘ जेएनसीएच ’ कहा गया हैं , प्राधिकृत और नामंकित ठेकेदारों / फ़र्मों , जिन्हे ‘ सेवा प्रदाता ’ कहा गया हैं, और जिन्हें इस क्षेत्र में न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव हो , से दो बिड़ प्रणाली में जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन में हाऊसकीपिंग तथा मैंटेनन्स सेवाओं को मुहैया करने हेतु वार्षिक संविदा के लिए ऑनलाइन – निविदाएँ आमंत्रित करता हैं।

1. आवेदन फार्म : अनुलग्नक - क
2. कार्य का क्षेत्र : अनुलग्नक - ख
3. अर्हतापूर्व शर्तें : अनुलग्नक - ग
4. निबंधन तथा शर्तें : अनुलग्नक - घ
5. तकनीकी बिड़ का प्रारूप : अनुलग्नक - ड़
6. सामान्य अनुदेश : अनुलग्नक - च
7. वित्तीय बिड़ का प्रारूप : अनुलग्नक - छ

अनुलग्नक – ख, ग और ड़ में विहित योग्यता बिड़ और अनुलग्नक छ / बी ओ क्यू प्रारूप के अनुसार वित्तीय बिड़ के लिए पूर्ण रूप से भरे गए ई –निविदा फार्म दिनांक 17.06.2019 (1100Hrs) तक या के पूर्व ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

निविदा की पद्धति हमारे पोर्टल (www.eprocure.gov.in) पर केवल ई-टेंडर के माध्यम से।

कार्य का क्षेत्र-

निम्न क्षेत्रों के साथ-

1- सम्पूर्ण जेएनसीएच के परिसर में हाउसकीपिंग और मेंटेनेन्स।

2- सीमाशुल्क के भूतल समेत सात मंजिला भवन जिसकी हर मंजिल के 3 विंग, सभी विंग के खुले क्षेत्र और छत, वाहनतल क्षेत्र, प्रवेश लाबी, कारीडार्स, स्वक्षतागृह, सीमाशुल्क भवन के विभिन्न कार्यालय।

3- फूंडेगाँव के स्टाफ क्वाटर में भूतल समेत 4 एक मंजिला भवन और एक बंगला आदि दिनभर साफ और स्वच्छ रखना।

4- पत्तन उपभोक्ता भवन (पीयूबी) नहावा सेवा में कुल 3402.90 स्क्वायर फीट क्षेत्र को संरचना संबंधित क्रिया कलापों के कारण जमे हुए मलबे को हटाना।

बयाना राशि- 2,50,000/- रू दो लाख पचास हजार मात्र।

सीपीपी पोर्ट पर निविदा प्रकाशित करने की तिथि	22.05.2019 (16.00 HRS)
बिड/निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की तिथि	22.05.2019 (16.15 HRS)
बिड/निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17.06.2019 (11.00 HRS)
तकनीकी बिड/निविदा खुलने की तिथि	18.06.2019 (11.30HRS)
वित्तीय बिड/निविदा खुलने की तिथि	21.06.2019 (11.30HRS)

ई-निविदा फार्म WWW.eprocure.gov.in, www.cbec.gov.in और www.jawaharcustoms.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

(टी.आर.दाश)
सहा.आयुक्त,सीमाशुल्क
कार्मिक एवं स्थापना विभाग न्हावा शेवा

प्रति,

i- सूचना फलक, सीएचएस

ii- Ii- डीसी/ईडीआई अनुभाग,जेएनसीएच और सीबीआईसी की वेबसाइट पर डालने हेतु।

अनुलग्नक-क

दिनांक

प्रेषक,

प्रति,

सीमाशुल्क आयुक्त (सामान्य)
जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
न्हावा शेवा, उरण, रायगढ़
महाराष्ट्र- 400707

विषय- जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, तालुका उरण, जिला- रायगढ़ में हाउसकीपिंग तथा मेन्टीनेन्स सेवाओं की संविदा के लिए

ई-निविदा।

संदर्भ- 1. आपकी ई-निविदा पहचान पत्र संख्या................ दिनांकित..........
2. इसएमडी-DD संख्या.............................दिनांकित...................,............. रूपयों के लिए।
मैं/हम निविदा अनुसूची और उसके अनुलग्नकों में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों को पढ़ते हुए उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं/हम पूर्ण रूप से सभी करों के समावेशी दर का कोट करता हूँ/हैं।

भवदीय,

सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर और मोहर,
विधिक स्थिति दर्शाएँ, प्रोपराइटर, साझेदार, पंजीकृत फ़र्म,कंपनी आदि।

अनुलग्नक - ख

कार्य का क्षेत्र :

कार्य का क्षेत्र निम्नानुसार होगा-

1. दिनभर निम्न स्थानों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए मेन्टेनिंग,फिनिशिंग का कार्य करना-
   सीमाशुल्क के भूतल समेत सात मंजिला भवन जिसकी हर मंजिल के 3 विंग, सभी विंग के खुले क्षेत्र और छत, वाहनतल क्षेत्र, प्रवेश लाबी, कारीडार्स, स्वक्षतागृह, सीमाशुल्क भवन के विभिन्न कार्यालय।
2. फूंडेगाँव के स्टाफ क्वाटर में भूतल समेत 4 एक मंजिला भवन और एक बंगला आदि दिनभर साफ और स्वच्छ रखना।
3. पत्तन उपभोक्ता भवन (पीयूबी) नहावा सेवा में कुल 3402.90 स्क्वायर फीट क्षेत्र को संरचना संबंधित क्रिया कलापों के कारण जमे हुए मलबे को हटाना।

इस कार्य में जमीन की सतह, पायदानों, छत, खिड़कियों के शीशे, फर्नीचर तथा अन्य कार्यालयीन उपकरणों की सफाई करना, जमीन और दीवारों पर लगे दाग-धब्बे हटाना इनका भी समावेश होगा, स्वच्छताग्रहों और सामान्य क्षेत्रों की दिन में दो बार सफाई करना अनिवार्य होगा। और हर महीने में शीमाशुल्क भवन की मशीनों की सहायता से अच्छे से सफाई करना साथ ही परिसर में संरचना संबंधित क्रियाकलापों के कारण जमे मलबे को हटाना अनिवार्य है।

प्रशासन द्वारा यथाआवश्यक एक स्थान से दूसरे स्थान तक फर्नीचर और अन्य मदों, स्टोर्स, अभिलेखों, स्टेशनरी को स्थानांतरित करना, साफ करना, व्यवस्थित करना।

सम्मेलन/बैठक/सेमिनार के दौरान सेवा प्रदान करने के लिए

आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने के लिए दैनिक इस सीमाशुल्क के कूड़े-कचरे को हटाना/निस्तारण करना।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण- इस सीमाशुल्क भवन और फुन्डेगाँव में क्वार्टर का खुला क्षेत्र लगभग 1,57,298 स्क्वयार फीट और आच्छादित क्षेत्र भूतल समेत सात मंजिला भवन जिसकी हर मंजिल के तीन विंग हैं और फुंडेगाँव में एक भूतल समेत चार मंजिला भवन और एक बंगला इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन क्षेत्र, पम्पहाउस, डीजी सेट रूम, पीयूबी का 3402.90 स्क्वायर फीट का क्षेत्र के भूतल पर नये रूप से बनाए गए कार्यालयों की जगह, ईडीआई केंद्र, गैराज समेत 1,59,556 स्क्वायर फीट मिलाकर के पुल 3,16,854 स्क्वायर फीट का क्षेत्र है।

कार्य का समय- रविवार छोड़कर सुबह 8.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक। इस सफाई का काम सुबह 8.00 बजे से शुरू होकर विभागों के कर्मचारियों के आने तक जैसे 9.30 तक समाप्त होगा। तथापि स्वच्छतागृहों और सामान्य क्षेत्रों को दिन में दो बार साफ करना होगा यदि न किया गया तो धन संबंधी कटौती की जाएगी। संविदाकार ने 17.00 बजे के उपरान्तर 18.00 बजे तक 04 कार्मिक प्रदान करने होंगे (तैनात किए गए कर्मचारियों में से समायोजन पर) प्रशासनिक आवश्यकता के अद्भुत होने के मामले में संविदाकार ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में अपनी सेवाएँ और कार्मिक प्रदान करने होंगे।

अनुलग्नक- ग

अर्हतापूर्व शर्तें-

1. बिडर को हाउस कीपिंग और मेन्टीनेंस सेवायें प्रदान करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, जिनमें से पूर्व किया गया कार्य न्यूनतम 1 करोड़ रूपये का हो और उसका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करेगा।
2. बिडर को पिछले 3 वर्षों का, जैसे 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के आयकर विवरण के स्वप्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगा। बिडर को पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर जैसे 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक वर्ष के लिए टर्नओवर कम से कम **1 करोड़** रूपये होना चाहिए।
3. पैन और जीएसटी रजिस्ट्रीकरण की साक्षांकित प्रतियाँ जोड़नी होंगी। बिडर ने कम से कम पिछले तीन वर्ष के दायर की गई जीएसटी/सेवाकर की साक्षांकित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। बिडर ने नवंबर 2018 से अप्रैल,2019 तक की अवधि में वृत्तिकर, भविष्य निर्वाह निधि और ईएसआईसी (ESIC) के पिछले तीन माह के भुगतान की स्वप्रमाणित चालान और वृत्तिकर रजिस्ट्रीकरण सब्सक्रिप्सन की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।
4. बिडर ने आवश्यक अनुज्ञप्तियाँ, जैसे भविष्य निर्वाह निधि, श्रम अनुज्ञप्ति, दुकान तथा स्थापना की स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ और कम से कम **39 कर्मचारियों** के नवंबर 2018 से अप्रैल 2019 के दौरान की कम से कम 3 महीनों की भविष्य निर्वाह निधि और ईएसआईसी के भुगतान की स्वयं प्रमाणित चालान प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।
5. श्रमिक कल्याण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण और कम से कम तीन महीने के नवीनतम चालान प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी ।
6. पिछले 3 वर्षों की अर्थात् 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लेखा सम परीक्षण बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट , बिडर किन्हीं राष्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक से 50 लाख रूपये का बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।
7. बिडर स्वप्रणानन प्रस्तुत करेगा कि बिडर के विरूद्ध कोई पुलिस रिकॉर्ड तत्सम नहीं है ।
8. फर्म की रजिस्ट्रीकृत शाखा/कार्यालय इस सीमाशुल्क भवन की 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर हो।
9. **अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD)** रूपये 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रूपये केवल) यदि लागू हो तो सीमाशुल्क आयुक्त (सामान्य) जेएनसीएच के नाम से मांग पत्र (डिमान्ड ड्राफ्ट) के रूप में, बिड प्रस्तुत के अंतिम दिनांक पर या के पहले डाक, हस्तगत रूप से लिफाफे पर ई-निविदा पहचान पत्र और नियम तारीख लिखकर भेजा जाए।
10. आवश्यक बकाया राशि के बिना प्राप्त निविदाएँ पूर्ण रूप से खारिज की जाएंगी। राशि से छूट केंद्रीय सरकार के नियमानुसार होगी।

11. बिडर के पास सिंगल डेस्क स्क्रीनिंग मशीन, जेट स्प्रे मशीन, ग्लास क्लीनिंग किट और वैक्यूम मशीन आदि जैसे पर्याप्त सफाई के उपकरण हों। बिडर के स्वामित्व वाले ऐसे सफाई उपकरणों की सूची स्वामित्व के प्रमाणपत्र समेत सम्मेत्ते साक्षांकित प्रस्तुत की जाएं।

12. बिडर किन्ही सरकारी/अर्धसरकारी संगठनों द्वारा समान रूप के कार्य के लिए पहले कभी अयोग्य न ठहराया गया हो । बिड प्रस्तुत के समय इस प्रकार का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बिड की प्रस्तुति- बिड केवल www.eprocure.gov.in पर ऑनलाइन पद्धति से प्रस्तुत किया जाएगा, साक्षांकित दस्तावेजों को इसी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बिड दस्तावेजों की कागजी प्रतियाँ (बकाया राशि छोड़कर) इस ई-निविदा में स्वीकृत नहीं होंगी ।

अनुलग्नक-घ

निबंधन तथा शर्तें -

1. यह कार्य सप्ताह के सभी दिन, रविवार छोड़कर किया जाएगा।

2. रूपये 2,50,000 (पचास हजार रूपये केवल) की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) यदि लागू हो, सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य), जेएनसीएच के नाम से मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में बिड प्रस्तुत के अंतिम दिनांक पर या के पहले डाक द्वारा/हस्तगत रूप से, लिफाफे पर ई-निविदा पहचान पत्र और नियम तारीख लिखकर भेजा जाए। आवश्यक बकाया राशि के बिना प्राप्त निविदाएं पूर्ण रूप से खारिज की जाएंगी। बकाया राशि से छूट केंद्रीय सरकार के नियमानुसार होगी।

3. प्रस्तुत किए गए निविदा के संबंध में प्रचलित करों और जीएसटी या पूर्ण किए गए कार्य पर लागू होने वाले जैसे कार्य संविदा कर आदि समेत किन्ही आगामी करों को वहन संविदाकार द्वारा किया जाएगा।

4. संविदा के संपूर्ण अवधि के लिए सफाई की सामग्री सीमाशुल्क भवन द्वारा मुहैया की जाएगी इसलिए हाउसकीपिंग अभिकरण ने यह ध्यान में रखते हुए अपनी बिड प्रस्तुत करें।

5. प्रत्येक मंजिल पर एक अलग से स्वीपर-कम-क्लीनर होगा। महिला स्वच्छतागृहों को साफ एवं स्वच्छ रखने के क्रम में प्रत्येक मंजिल पर एक महिला स्वीपर-कम-क्लीनर तैनात होगी। सभी स्वच्छतागृहों को दिन में दो बार साफ करना होगा। सीविंग, पहली मंजिल पर स्थित अतिथिगृह के लिए चौबीसों घण्टे एक परिचर तैनात किया जाएगा। सभी सफाई कर्मचारी अच्छे और उचित गणवेश में हों जिस पर हाउसकीपिंग एजेंसी का नाम लिखा हो। सेवा प्रदाता, स्वयं या अपने पर्यवेक्षक से सभी कर्मचारियों के काम का हर घण्टे सर्वेक्षण करेगा और प्रिन्ट किए हुए जॉब कार्ड पर किए गए कार्य लिखेगा और हर दिन वह अधीक्षक, सीएसएस अनुभाग को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। **इस सीमाशुल्क भवन के कुल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और पिछले अनुभव के अनुसार कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 39 से कम न हो ।**

6. स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का आशय रखने वाली हाउसकीपिंग एजेंसी को वरीयता दी जाएगी। चयनित एजेंसी को प्रायोगिक आधार पर पहले तीन महीने के लिए उनके कार्य के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया जाएगा। यदि कार्य समाधानजनक नहीं रहा तब उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

7. (कर्माचारियों के) क्षतिपूर्ति अधिनियम 1948 के अधीन लागू सभी दावों के विरूद्ध एजेंसी की सुरक्षा करने वाला बीमा सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया जाएगा। सेवा प्रदाता को उसके द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति चाहे अल्प समय के लिए हों, के लिए आवश्यक बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। सेवा प्रदाता द्वारा बाहरी स्रोत से सेवा प्रदान करने के लिए मुहैया किए गए श्रमिक द्वारा कर्तव्यों को निर्वहन करने के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती है तो उससे होने वाले किसी भी दावे के कार्यालय विचारण में नहीं लेगा। आयुक्तालय पर आने वाले किसी दायित्व/दावे घटना में उसकी सेवा प्रदाता द्वारा क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. **बिडर ने हाउसकीपिंग कर्मचारियों के लिए मजदूरी, विभिन्न महँगाई भत्ता और अन्य सभी लोगों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्र सरकार) और अन्य सम्बद्ध विधियों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।** भविष्य निर्वाह निधि, बीमा योजना, बोनस आदि की सदस्यता दिलाना भी बिडर की जिम्मेवारी होगी। ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए कटौती प्रतिमाह आधार पर न्यूनतम 39 कर्मचारिय़ों पर दरों में उद्धारित

की जाए और इस प्रकार कोटेड किए गए दरों से अधिक और ऊपर देय नहीं होगी। भुगतान जारी करने से पहले हर महीने ऐसे नुकसान का विवरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनुपालन होने तक भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।

9. काम से जुड़े किसी कार्मिक के लापरवाही, बेईमानी या कदाचार के सभी कार्यों के विरूद्ध सेवा प्रदाता क्षतिपूर्ति करेगा और इस कार्यालय की भी क्षतिपूर्ति करेगा और यह कार्यालय किन्ही कार्मिक या अन्य पक्ष के किसी नुकसान या अन्य क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10.सेवा प्रदाता के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अन्य कोई भी व्यक्ति को कार्यालय के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

11.विभाग, सेवा प्रदाता और सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के बिड के किसी भी वाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा यह विभाग, बिडर, सेवा प्रदाता के कर्मचारियों और श्रम आयुक्त के बीच सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निर्वाह निधि, ईएसआईसी, बोनस से संबंधित किन्ही विवादों के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

12.विभाग, सेवा प्रदाताओं और सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के बीच उत्पन्न किसी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। यह विभाग बिडर, सेवा प्रदाता के कर्मचारी और श्रम आयुक्त के बीच सेवा प्रदाता के कर्मचारियों के रोजगार, भविष्य निर्वाह निधि, ईएसआईसी, बोनस से संबंधित किसी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

13.भुगतान के बिल की प्रस्तुति के समय सेवा प्रदाता, काम में जुड़े सभी कार्मिकों के संबंध में ईपीएफ, ईएसआईसी आदि जैसी वैधानिक दायित्वों के लिए किए गए पूर्व भुगतान के सबूत प्रस्तुत करने होंगे।

14.ईपीएफ/ईएसआई अंशदान के विवरण समेत बिल की प्रस्तुति पर सेवा प्रदाता का भुगतान किया जाएगा। आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित दरों पर आयकर स्रोत पर कटौती की जाएगी।

15.विभाग की संपत्ति को कार्मिक द्वारा पहुँचाए गए नुकसान की वसूली सेवा प्रदाता से की जाएगी।

16.संविदा न्यूनतम 1 वर्ष के लिए होगी। सेवा प्रदाता के समाधानपरक कार्य निष्पादन के अध्यधीन संविदा अधिकतर विस्तारित करने का अधिकार यह कार्यालय आरक्षित रखता है। शर्तें तथा निबंधनों में अधिकथित प्रत्येक निबंधन को पूरा करने के पश्चात ही केवल सेवा प्रदाता को संपूर्ण दर/उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

17.यह कार्यालय बिड प्रस्तुति/बिड खोलने के दिनांक को विस्तारित करने या किसी भी स्तर पर निविदा रद्द करने, उसके लिए किसी कारण न बताते हुए अधिकार आरक्षित रखता है।

18.शर्तें तथा निबंधनों में अधिकथित प्रत्येक निबंधन को पूरा करने के पश्चात ही केवल सेवा प्रदाता को संपूर्ण दर/उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

19. दरों/उद्धरणों को अपने वर्तमान व्यापार पेन के साथ हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करने होंगे।

20. सेवा प्रदाता इस निविदा दस्तावेज के सभी पन्ने और इससे अन्य अनुलग्नक पढ़ें। इसके पश्चात कोई शिकायत/प्रतिवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा।

21.सेवा प्रदाता ने निविदा के सभी दरों/उद्धरणों,विवरणों और सभी शर्तों तथा निबन्धनों का अनुपालन करना होगा ।

22.सफल बिडर, सुनिश्चित करने वाले क्षतिपूर्ति बॉण्ड, की इस निविदा द्वारा उद्भूत कर्मचारियों के भुगतान के संबंध में किन्ही विवादों के जिम्मेवार वह होंगे और उससे संबंधित सभी व्यय वह स्वयं उठाएगा, के साथ शर्तों और निबंधनों के अनुसार जेएनसीएच के साथ एक करार करेगा।

23.सफल बिडर को किन्ही राष्ट्रीकृत अनुसूचित बैंक से ऑटो रिन्यूअल क्लास के साथ बैंक गारण्टी के प्रारूप में संपूर्ण वर्ष के कुल बोली रकम के 10 प्रतिशत रकम के समान रकम की निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

24.सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल), जेएनसीएच को बिना कोई कारण बिना किन्हीं या सभी निविदाओं को स्वीकृत/नामंजूर करने का अधिकार आरक्षित होगा। अनुद्धत समय के पश्चात प्राप्त उद्धरण किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं होंगे।

25.निविदाओं के खुलने के दिनांक से 90 दिनों की अवधि के लिए निविदा वैध होगी और बिडर वैधता दिनांक की समाप्ति के पूर्व उसकी निविदा वापस नहीं ले सकता।

26.किसी स्पष्टीकरण/साइट निरीक्षण के लिए बिडर इस सीमाशुल्क भवन के सीमाशुल्क अधीक्षक (निवारक), कार्मिक तथा स्थापना विभाग, पांचवीं मंजिल, ए विंग से किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से शाम पाँच बजे तक या दूरभाष क्रमांक 022272447 से संपर्क कर सकते हैं।

27.इस सीमाशुल्क भवन और फुण्डेगाँव में क्वार्टर्स का खुला क्षेत्र लगभग 157298 वर्ग फुट और आच्छादित क्षेत्र का भूतल समेत 7 मंजिला भवन जिसकी हर मंजिल के तीन विंग हैं और फुण्डेगाँव में एक भूतल समेत पीयूबी का 3402.9 स्क्वायर फुट का क्षेत्र चार मंजिला भवन और एक बंगला सब स्टेशन क्षेत्र, पम्प हाउस, डीजी सेट रूम, जेएनसीएच के भूतल पर नये रूप से बनाए गए कार्यालयों की जगह, ईडीआई केंद्र, गैराज सभी 159556 वर्ग फुट को मिलाकर कुल 316,854 वर्ग फुट क्षेत्र है।

28.**बिडर को, हाउसकीपिंग कर्मचारियों के लिए प्रति माह आधार पर प्रति कर्मचारी पर ही केवल अपने दर कोट करने होंगे जो कि यथालागू सभी करों से समाविष्ट और प्रदत्त श्रम विधि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के अनुसरण में हो।**

29.संविदाकार किसी भी प्रकार से उपसंविदा या संविदा का बाहरी स्रोत नहीं अपनाएगा।

30.कर्मचारियों का विवरण, जैसे फोटो, पते के दस्तावेज (स्थायी/वर्तमान) ,जन्म प्रमाण पत्र, जन्म दिनांक का सबूत और संपर्क क्रमांक इस विभाग को अभिलेख हेतु देगा और इस संबंध में कोई परिवर्तन/बदलाव अधोहस्ताक्षरित को प्रस्तुत करेगा।

31.संविदाकार हाउसकीपिंग और मेन्टीनेंस कार्मिक के रूप में केवल ऐसे कार्मिक को नियुक्त कर सकेगा जो विधिक रूप से कार्य के लिए नियुक्त किया गया है और स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से जिसने एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया है।

32. संविदाकार अपनी लागत पर अपने कार्मिक की उचित बीमा सुरक्षा कराएगा।

33.सेवा से संतुष्ट न होने के आधार पर यह कार्यालय मासिक वेतन में 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत के स्तर में धन संबंधी कटौती का अधिकार आरक्षित रखता है। यह इसे दैनिक निरीक्षण रिपोर्ट के विश्लेषण द्वारा अभिनिर्धारित किया जाएगा।

34.वित्तीय बिड संलग्नित प्रारूप में कोट की जाए। निविदा की कुल रकम सभी करों के समावेशक और चर महँगाई भत्ते समेत अंतिम मानी जाएगी और संविदा की संपूर्ण अवधि के लिए समान रहेगी।

35.भवन और कम्पाउण्ड से कचरे का निपटान न करने के लिए 500 रूपये प्रतिदिन की पेनाल्टी लगेगी।

36.सेवा विस्तार के मामले में उपरोक्त शर्तें, निविदा के पूर्ण होने के पश्चात जब विस्तारित की जाएगी तभी लागू होगी।

37.**बिडर द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों का इस कार्यालय में रोजगार या समावेशन के लिए दावा नहीं होगा।**

38.सेवा प्रदाता को उस परिसर में उसके सेवा कार्मिक के प्रवेश के नियमिनिकरण समेत जेएनसीएस न्हावा शेवा में प्रचलित सुरक्षा मानदण्डों का अवलोकन करना होगा

39.निविदा स्वीकृति की आखिरी तारीख और समय 17.06.2019 (11.00 बजे) होगा और निविदा समिति की उपस्थिति में निविदाएँ खोली जाएँगी। बिड खोलने के दौरान बिडर उपस्थित रह सकते हैं (यदि वे चाहें)। बिड खोलने की आवश्यक तारीख निम्न है

तकनीकी बिड खोलना- 18 जून 2019, 11 बजे

वित्तीय बिड खोलना- 21 जून 2019, 11.30 बजे

(टी.आर. दाश)
सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
कार्मिक तथा स्थापना विभाग
जेएनसीएच, न्हावा शेवा

तकनीकी बिड़ के लिए प्रारूप **भाग एक**

अनु. सं.	**ब्यौरा**	**विवरण**
1.	“सेवा प्रदाता” का नाम	
	सेवा प्रदाता का पूरा पता	
	दूरभाष क्र.	
	फ़ैक्स kr.	
	इ – मेल	
	प्रतिनिधि का नाम (संपर्क विवरण समेत)	
2.	MICR और IFSC कोड समेत बैंक विवरण	
3.	फ़र्म का पैन	
4.	विगत 3 वर्षों का आयकर विवरण	
5.	कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र (5 वर्ष के)	
6.	वृत्ति कर रजिस्ट्रीकरण क्र. और नवम्बर, 2018 से अप्रैल 2019 के दौरान के न्यूनतम 3 महीने के अंशदान के भुगतान के चालान की प्रतियाँ	
7.	GST रजिस्ट्रीकरण क्र	
8.	विगत 03 वर्ष के जीएसटी रजिस्ट्रीकरण क्र.	
9.	भविष्य निर्वाह निधि रजिस्ट्रीकरण क्र. और नवम्बर, 2018 से अप्रैल 2019 के दौरान के न्यूनतम 3 महीने के अंशदान के भुगतान के चालान की प्रतियाँ	
10.	ESIC रजिस्ट्रीकरण क्र. और नवम्बर, 2018 से अप्रैल 2019 के दौरान के न्यूनतम 3 महीने के अंशदान के भुगतान के चालान की प्रतियाँ	
11.	मजदूर कल्याण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण क्र.	
12.	मजदूर अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण क्र.	
13.	दुकान तथा स्थापना अनुज्ञप्ति	
14.	विगत 3 वर्षों के लिए सीए प्रमाणपत्र	
15.	किन्हीं अनुसूचित / राष्ट्रीयकृत बैंक से रु. 50 लाख का बैंक सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र	
16.	क्या कंपनी/ फ़र्म या उसकी शाखा जेएनसीएच से 50 किमी के भीतर हैं ?	
17.	बिडर का कोई पुलिस रेकॉर्ड या उसके विरुद्ध तत्समान कोई बात नहीं हैं , का स्वयं प्रमाणपत्र	
18.	अनुभव (वर्षों में)	
19.	EMD का विवरण	
20.	ISO 9001	
21.	कंपनी के आधारभूत सामग्री की जानकारी, सफाई उपकरणों की सूची	
22.	किन्हीं पीएसयू बैंक / सरकारी संगठनों द्वारा ब्लॅक लिस्ट मे डाला गया ?	हाँ / ना

टिप्पणी : 1. सबूत के लिए उपरोक्त की साक्षांकित प्रतियाँ जोड़नी होगी।
2. संविदा प्रदान करते समय मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

भाग- 2

-घोषणा-

1. मैं.................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................... का.......................
प्रोपराइटर/भागीदार/निदेशक/प्राधिकृत

/हस्ताक्षरकर्ता यह निविदा हस्ताक्षरित करने और इस निविदा दस्तावेज कार्यान्वित करने में सक्षम हूँ।

2. मैनें निविदा की सभी शर्तों और निबंधनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और समझ लिया है और इसका पालन करूँगा।

3. उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/दस्तावेज मेरे संज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य तथा विश्वसनीय हैं, मैं/हमें यह जानकारी है कि

किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना/मनगढंत दस्तावेज से मेरी/हमारी निविदा को अस्वीकृत की जा सकती है साथ ही मैं

उचित कानून के तहत अभियोजन के प्रति उत्तरदायी हूँगा।

4. मैं जानता हूँ कि किसी भी स्तर पर उक्त कथन में विचलन पाये जाने के मामले में , संबंधित को ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा और भविष्य में
विभाग के साथ कोई व्यवहार नहीं किया जा सकेगा।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम और मुहर
दिनांक-

अनुलग्नक- च

सामान्य अनुदेश

*ईएमडी (EARNEST MONEY DEPOSIT)-निविदा के साथ आरबीआई, सीमाशुल्क आयुक्त, जेएनसीएच का खाता, (RBI, A/C OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMES, JNCH)के नाम से 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
*पीजी (पर्फार्मेंस गारंटी) – 1.सफल बिडर में किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से संविदा की अवधि तक वैध ऑटो रिन्यूअल क्लॉज के साथ सीमाशुल्क आयुक्त (सामान्य) जेएनसीएच के नाम से बैंक गारण्टी के प्रारूप में संविदा वार्षिक मूल्य की रकम के 10 प्रतिशत प्रस्तुत करनी होगी।
* सेवा प्रदाता में निविदा की पूर्व अर्हता शर्तें पूर्ण करनी होंगी।
* तकनीकी बिड निविदा समिति के सदस्यों और बिडरों की उपस्थिति में प्रथम खोली जाएगी केवल तकनीकी रूप से अर्ह/पात्र बिडरों की वित्तीय बिड निविदा समिति सदस्यों की उपस्थिति में खोली जाएगी। बिडर्स यदि वे चाहें उपस्थित रह सकते हैं।
* किसी विचारण/साइट निरीक्षण आदि के लिए हितबद्ध पक्ष सीमाशुल्क अधीक्षक, कार्मिक तथा स्थापना विभाग पांचवीं मंजिल ए विंग जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन न्हावा शेवा या दूरभाष क्रमांक 022-27244727 किसी भी कामकाजी दिन पर सुबह 10 बजे से शाम पाँच बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
*निविदा स्वीकृत का अंतिम दिनांक और समय 17.06.2019 (11 बजे तक)
* बिड खोलने का दिनांक—
तकनीकी बिड खोलने का दिनांक---- 18 जून 2019 को 11.30 बजे
वित्तीय बिड खोलने का दिनांक 21 जून 2019 को 11.30 बजे

(टी.आर. दाश)
सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क

1. प्रतियाँ-जेएनसीएच और सीबीआईसी की वेबसाइट पर डालने के लिएकार्मिक तथा स्थापना विभाग

2.सूचना बोर्ड

अनुलग्नक- छ

हाउसकीपिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए वित्तीय बिड

क्रम संख्या	कार्मिकों की संख्या	स्थान	व्यक्तियों की संख्या (A)	प्रति दिन /प्रति वर्कर कामगार का रेट-रुपए में (प्रासंगिक समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दरें नहीं हो सकती हैं) (B)	दिनों की संख्या जिसके लिए एक महीने में सेवाओं की आवश्यकता होती है (C)	कुल रुपये प्रति माह (AxBxC)
1.	अकुशल कामगार	न्हावा शेवा				
2	कुल (X)					
3	सेवा शुल्क (रुपये प्रति माह (Y)					
	प्रति माह कुल देय राशि (X+Y)					रुपए
	प्रति माह कुल देय राशि (शब्दों में) …………………………………………………………………………………					

कामगारों को भुगतान किए जाने वाली बुनियादी न्यूनतम मजदूरी/ईएसआईसी/बीमा आदि के विवरण का उल्लेख करने वाली शीट

क्रम संख्या	विवरण	राशि रुपये (प्रति माह /प्रति कामगार)
1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मूल	
2	ईपीएफ	
3	ईएसआईसी	
कुल		

नोट :

1. कोई कटिंग या ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं है। किसी भी ओवरराइटिंग या कटिंग वाली वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2. मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम के साथ जमा की गई निविदा , किसी भी नोटिस के बिना रद्द कर दी जाएगी।

3.जीएसटी का भुगतान लागू दरों के अनुसार होगा।

4.बोली करने वाला बुनियादी न्यूनतम मजदूरी / ईपीएफ / ईएसआईसी आदि के विवरणों का उल्लेख करते हुए अलग शीट भी प्रदान करेगा।